न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 232/2015 **दायरा दिनांक : 22.09.2015**

उनवान

अमर सिंह दत्तक पुत्र श्री पिरथा जी, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– हरिसिंह पुत्र श्री रामलाल जी, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– सोहन सिंह पुत्र श्री मजबूत सिंह, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– बदाम बाई बेवा श्री मजबूत सिंह, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– निरमा पुत्री श्री मजबूत सिंह, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– भेरी बाई पुत्री श्री मजबूत सिंह, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6– मदन उर्फ मदन सिंह पुत्र रामलाल, जाति अहेडी, निवासी गाडीघटा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री केदार लाल भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 7/2014 निर्णय दिनांक 17.08.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व 151 जाप्ता दीवानी निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र रीजनेबल एवं बोनाफाइड कारण दर्शाते हुए पेश किया था, जिसको निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 104/2006 हरिसिंह बनाम सोहन सिंह वगैरा को दिनांक 27.02.2009 को एक पक्षीय रूप से डिक्री किया गया है । उक्त निर्णय की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी, ना ही अपीलांट पर प्रोपर सम्मन की तामील हुई है । अपीलांट द्वारा वाद की सर्वप्रथम जानकारी होते ही अपीलांट ने एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने हेतु समुचित कारण दर्शाते हुए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । अपीलांट द्वारा वर्णित तथ्यों पर गौर किये बिना ही महज तामील कुनिन्दा की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय प्रदान किया गया है । अपीलांट को सम्मन की कोई तामील नहीं हुई है ना ही अपीलांट ने सम्मन पर अपने हस्ताक्षर ही किये हैं तथाकथित हस्ताक्षर व तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा वह आज भी काबिज काश्त है । न्याय हित में अपीलांट के विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही निरस्त कर

अपीलांट को अपनी जवाबदेही व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर दोनों पक्षों को सुनवायी कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2015 निरस्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के तथ्य पत्रावली से प्रमाणित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा